अन्तर्गत न्यायालय, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर ।

सत्र वाद सं0–648 / 19

15.12.21 काराधीन अभियुक्त कृष्ण कुमार पासवान की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता कथन किये कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक अभियुक्त का किसी उपरी न्यायालय में जमानत आवेदन लम्बित नहीं है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप झूँठा एवं बनाबटी है। आवेदक अभियुक्त गरीब आदमी है। आवेदक अभियुक्त के पास से कोई सामान बरामद नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त को हत्या करते किसी ने नहीं देखा है। आवेदक अभियुक्त पर मृतक की पत्नी रेखा देवी के मोबाईल पर आखिरी बात करने का आरोप है लेकिन मृतक की पत्नी से हत्या के कुछ समय पहले सुबोध कुमार के द्वारा मोवाईल न0 8051475199 से एवं अरविन्द चौरसिया से भी घटना से एक घंटा पहले मोबाईल न0 8407851684 से बात हुई थी लेकिन पुलिस द्वारा उन दोनों व्यक्ति को पैसा लेकर पूछताछ नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इस वाद में अन्य सह–अभियुक्त राम बाबू पासवान को जमानत दिया जा चुँका है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 03.09.19 से कारा में है। अतः आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाये।

विद्वान लोक अभियोजक जमानत का विरोध किये।

अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सूचक हरि नारायण चौरसिया के फर्द बयान के आधार पर अज्ञात के विरूद्ध उजियारपुर थाना कांड सं0–286 / 18, धारा 302 / 34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी के अनुसार सूचक के लड़का गणेश चौरसिया (मृतक) को अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा जान मारने की नीयत से सोये अवस्था में डेरा में खाट पर धारदार हथियार से गला एवं सिर पर मारकर जख्मी करने , जिसे ईलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाने का आरोप है। आवेदक अभियुक्त इस वाद के अप्राथमिकी अभियुक्त है लेकिन मूल कांड दैनिकी की कंडिका 29 में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, दलसिंहसराय के प्रगति प्रतिवेदन में आया है कि सह–अभियुक्त राम बाबू पासवान ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में स्वीकार किया है कि वह मृतक की पत्नी रेखा देवी के कहने एवं दस हजार रूपया देने के बाद अपने साथी कृष्ण कुमार पासवान तथा कृष्ण कुमार के अन्य मित्र के साथ मिलकर गणेश चौरसिया (मृतक) की हत्या किया था। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र भी समर्पित किया जा चुँका है। आरोप का गठन भी हो

चुँका है तथा इस वाद में सूचक साक्षी का साक्ष्य भी हो चुँका है। आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप की प्रकृति बहुत–ही गंभीर है।

अतः वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए मैं आवेदक अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं समझता हूँ, अतएव काराधीन अभियुक्त कृष्ण कुमार पासवान की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित

Sujeet Kumar Srivastava

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश